न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास डॉ0 दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान आदूराम बनाम च्यानणमल आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48, 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र सं. 102/2022

निर्णय दिनांक 13/12/24

आदूराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल उम्र 75 वर्ष निवासी नैणासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—प्रार्थी

बनाम्

1. च्यानणमल पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. भंवरलाल पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. हंसराज पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. रामलाल पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
5. फूलचन्द पुत्र बीरूराम जाति मेघवाल निवासी खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर वर्तमान भानीपुरा जिला चूरू

— अप्रार्थीगण

उपस्थितिः

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बेनीवाल एडवोकेट अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5
3. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी सं0 6

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 5 आपस में रिश्तेदार है तथा कृषि पेशा व्यक्ति हैं। जो खेती कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है। प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 747 रकबा 9.6000 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर में स्थित है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की सह खातेदारी कृषिभूमि ख0 नं0 131 रकबा 4.8200 हैक्टेयर, ख0 नं0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर, ख0 नं0 655 रकबा 2.0500 हैक्टेयर, ख0 नं0 656 रकबा 3.0500 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 17.9800 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर में स्थित है। प्रार्थी अपने खेत ख0 नं0 747 का विनियम अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के खेत ख0 नं0 212 के साथ करना चाहता है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र में आगे अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के अन्य खसरों का उल्लेख नहीं किया जायेगा।

प्रार्थी की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि ख0नं0 747 रकबा 9.6000 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा में स्थित है। अर्सा पहले कृषि भूमियां उबड़ खाबड़ होने के साथ ही उसमें अत्यधिक फोग झाडियां होती थी तथा सेवण व घां[illegible]दा होता था। जिसके कारण खेत को सुधार कर काश्त किया जाना कठिन होता था। इसलिए [illegible] कम काश्त करते थे और पशुओं के चरने लिए बंजड़ के रूप में [illegible] भूमि [illegible]क रखते थे। प्रार्थी गांव [illegible] निवासी होने से अपने नाम की प्रश्नगत भूमि काश्त के [illegible] व उपयोग के लिए अप्रार्थीगण [illegible] देता था। इसलिए प्रार्थी को यह ज्ञान नहीं था कि उसका खेत कौन सा है और ना ही अप्रार्थीगण को ज्ञान था। वर्तमान में कृषि भूमियां कम हो जाने पर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि काश्त करने लगा तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी ने खसरा नं0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा की भूमि पर काश्त करनी शुरू कर दी और अप्रार्थीगण प्रार्थी के नाम की कृषि भूमि ख0 नं0 747 रकबा 9.6000 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा को पूर्ववत ही काश्त करते रहे। वर्तमान में संवत 2072 में हुए बन्दोबस्त के बाद कृषि भूमियों की जमाबन्दियां व नक्शे ऑनलाईन उपलब्ध हो जाने पर प्रार्थी ने अपने नाम के खेत की जमाबन्दी व नक्शा निकलवाया तब खेत के नक्शे की आकृति को देखकर संदेह होने पर आस–पास के खेतों के बारे में जानकारी की तो मालूम हुआ कि उक्त खेत वह नहीं है जिसे प्रार्थी काश्त करता है। जिस पर प्रार्थी ने अपने द्वारा काश्त किये जाने वाले खेत ख0 नं0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर की जमाबन्दी व नक्शा निकलवाया तो प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के नाम का खेत ख0 नं0 747 अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 काश्त करते हैं तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के नाम का खेत ख0 नं0 212 प्रार्थी काश्त करता है। कब्जा काश्त के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 अपने खेतों का विनिमय करना चाहते है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की कृषि भूमि एक ही पटवार हल्का खेजड़ा दिखणादा में स्थित है तथा दोनों की कृषि भूमियों की किस्म समान है रकबा में 1.5400 हैक्टेयर यानि 6 बीघा 1 बिश्वा का अन्तर है। ख0 नं0 212 की भूमि ख0 नं0 747 की भूमि से अधिक उपजाऊ व समतल है। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 भी विनियम करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के मध्य प्रश्नगत भूमि के विनिमय को लेकर आपस में प्रतिफल राशि का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि का विनिमय अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि से करना चाहता है। जिसका प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कानूनन अधिकारी है।

प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पूर्व में कोई ज्ञान नहीं रहा है। अब प्रार्थी ने केसीसी बनवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल की तब प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के नाम का खेत ख0 नं0 747 अप्रार्थीगण काश्त करते हैं एवं अप्रार्थीगण के नाम का खेत ख0 नं0 212 प्रार्थी काश्त करता है। जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.06.2022 को अप्रार्थी सं0 6 को राजस्व रिकॉर्ड दिखाते हुए वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के मध्य आपस में बदलने का निवेदन किया तब अप्रार्थी सं0 6 द्वारा राजस्व न्यायालय में चाराजोही करने का कहा गया। अप्रार्थी सं0 6 को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 अपनी कृषि भूमियों का आपस में विनिमय करना चाहते हैं जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद अप्रार्थी सं0 6 द्वारा किया जाना है इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। वादगत कृषि भूमि रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर में स्थित होने से प्रार्थना पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अप्रार्थी सं0 6 की इन्कारी दिनांक से हर प्रकार से अन्दर मियाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत [illegible]

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश [illegible] किया कि कि प्रार्थी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 747 रकबा [illegible] हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर की खातेदारी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के [illegible] के 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं0 4 व 5 के प्रत्येक के 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील सरदारशहर की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता ओमप्रकाश बेनीवाल उपस्थित आकर जबाब इकबाल पेश किया। तहसीलदार सरदारशहर वर्तमान भानीपुरा को बार–बार अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 व पैरोकार राज की बहस सुनी गई व पत्रावली का पूर्णरूपेण अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 आपस में Exchange करने पर सहमत है। जिस बाबत अप्रार्थी सं0 1 ता 5 द्वारा जबाब इकबाल किया गया है। अतः विनिमय स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे। पैरोकार द्वारा ऐसा कोई तर्क नहीं दिया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 का प्रकरण विनिमय की श्रेणी में नहीं आता हो और विनिमय से इतर हो।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व इकबाल जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व पैरोकार राज द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं करने पर विनिमय करने में कोई कानूनी अड़चन प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य के अनुसार प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 447 रकबा 9.6000 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील भानीपुरा में स्थित है। अर्सा पहले कृषि भूमियां उबड़ खाबड़ होने के साथ ही उसमें अत्यधिक फोग झाडिया घास होती थी जिसके कारण काश्त करना संभव नहीं होता था काश्तकार पशु रखते थे और उस बंजड़ भूमि में पशु चराते थे। प्रार्थी गांव नैणासर का निवासी होने से अपने नाम की प्रश्नगत भूमि काश्त के लिए अप्राथीगण को देता था। इसलिए प्रार्थी को यह ज्ञान नहीं था कि उसका खेत कौनसा था और ना ही अप्रार्थीगण को ज्ञान था। अब भूमियां कम होने से प्रार्थी अपनी भूमि काश्त करने लगा। तब प्रार्थी ने ख0नं0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर रोही खेजड़ा की भूमि पर काश्त करनी शुरू कर दी और अप्रार्थीगण प्रार्थी के नाम की कृषि भूमि ख0नं0 747 रकबा 9.0600 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा को पूर्ववत ही काश्त करते रहे। वर्तमान में संवत 2072–92 के दौरान हुए बन्दोबस्त के बाद राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन उपलब्ध हो जाने पर प्रार्थी ने अपने खेत की जमाबन्दी व नक्शा निकलवाया तब प्रार्थी के खेत के नक्शे की आकृति इतर होने के कारण आस पास के खेतों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि उक्त खेत वह नहीं है जिसे प्रार्थी काश्त करता था। जिस पर प्रार्थी ने अपने द्वारा काश्त किये जाने वाले खेत ख0 212 रकबा 8.0600 हैक्टेयर की जमाबन्दी व नक्शा निकलवाया तो प्रार्थी को ज्ञान हुआ है कि प्रार्थी का खेत ख0नं0 747 अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 काश्त करते है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 के नाम का खेत ख0नं0 212 प्रार्थी काश्त करता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 अपनी कृषि भूमियों का आपस में [illegible]ना चाहते है। जिस हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 5 ने अपने इकबा[illegible]ंकि धारा 48, 49 के प्रावधानों के अनुसार समान क्षेत्रफल व सम[illegible] किस्म होने पर पक्षक[illegible] सहमति से उनकी सुविधाओं के मध्य नजर Exchange किया जा सकता है। लैण्ड होल्ड[illegible]हसीलदार भानीपुरा ने कोई खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सरदारशहर तहसील क्षेत्र में थी। तत्पश्चात प्रश्नगत भूमि क्षेत्र की तहसील नवसृजित होकर भानीपुरा हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित विवेचन से प्रार्थी का विनिमय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48, 49 आर टी एक्ट स्वीकार योग्य है फलस्वरूप स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 747 रकबा 9.0600 हैक्टेयर रोही खेजडा दिखणादा तहसील भानीपुरा को अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के के नाम खातेदारी में दर्ज करते हुए अप्रार्थी सं0 1 च्यानणमल के नाम 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 भंवरलाल के नाम 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 हंसराज के नाम 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 4 रामलाल के नाम 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 5 फूलचन्द के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज की जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज सह खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 तादादी 8.0600 हैक्टेयर रोही खेजड़ा दिखणादा तहसील भानीपुरा की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भानीपुरा को भिजवाई जावे।

(डॉ. दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 13/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.12.26 16:42:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner